

## हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

## अधिसूचना

दिनांक 4 जनवरी, 2011

संख्या सी०सी०पी०(एन०सी०आर०)/एम०डी०जी०-जॉट/सी०ए०/2011/01.—चूंकि, सरकार की राय में नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट तथा उससे संलग्न योजना में दर्शाए गये क्षेत्र, भवन गतिविधियों तथा अव्यवस्थित विकास के लिए संभाव्य है;

इसलिए, अब, पंजाब अनुसूचित सड़क तथा नियन्त्रित क्षेत्र अनियमित विकास निर्बन्धन अधिनियम, 1963 (1963 का पंजाब अधिनियम 41), की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, उक्त क्षेत्र को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नियन्त्रित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, अर्थात् :—

## अनुसूची

केन्द्रीय विश्वविद्यालय, गांव जॉट (हदबस्त संख्या 45) तथा पाली, (हदबस्त संख्या 39), जिला महेन्द्रगढ़ के चारों ओर नियन्त्रित क्षेत्र की सीमाओं की अनुसूची की ड्राईंग संख्या डी०टी०पी०(एम०जे०) 122/2009, दिनांक 5 नवम्बर, 2010 के साथ पढ़ा जाए।

उत्तर : बिन्दु 'ए' से प्रारम्भ करते हुए, जो कि गांव आदलपुर (हदबस्त संख्या 44) की आयत संख्या 52 का उत्तर-पश्चिम कोना है, तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव आदलपुर (हदबस्त संख्या 44), की आयत संख्या 52 तथा गांव जॉट (हदबस्त संख्या 45), की आयत संख्या 21, 22, 23, 24, 25, 26 तथा 27 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'बी' तक जो कि गांव जॉट (हदबस्त संख्या 45) की आयत संख्या 27 का उत्तर-पूर्व कोना है।

पूर्व : तत्पश्चात् बिन्दु 'बी' से होते हुए दक्षिण की ओर गांव जॉट (हदबस्त संख्या 45) की आयत संख्या 27, 36, 51 तथा 57 एवं गांव मालडा (हदबस्त संख्या 57) की आयत संख्या 14, 37, 39 तथा 62 के साथ-साथ गांव मालडा (हदबस्त संख्या 57) की दक्षिणी राजस्व सीमा तक। तत्पश्चात् पश्चिम की ओर गांव लावन (हदबस्त संख्या 58) की उत्तरी राजस्व सीमा के साथ-साथ गांव मालडा (हदबस्त संख्या 57), गांव पाली (हदबस्त संख्या 39) तथा गांव लावन (हदबस्त संख्या 58) की राजस्व सीमाओं के तिरहे पर मिलती हैं। तत्पश्चात् दक्षिण की ओर गांव पाली (हदबस्त संख्या 39) की पूर्वी सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'सी' तक जो कि पाली (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 113 का दक्षिण-पूर्व कोना है।

दक्षिण : तत्पश्चात् बिन्दु 'सी' से होते हुए पश्चिम की ओर गांव पाली (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 तथा 121 की दक्षिण सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'डी' तक जो कि गांव पाली (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 121 का दक्षिण-पश्चिम कोना है।

पश्चिम : तत्पश्चात् बिन्दु 'डी' से होते हुए उत्तर की ओर गांव पाली (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 121, 104, 89, 70 तथा 56 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ तत्पश्चात् उत्तर की ओर गांव पाली (हदबस्त संख्या 39) की पश्चिमी राजस्व सीमा के साथ साथ बिन्दु 'ई' तक जो कि इसी गांव की आयत संख्या 8 का उत्तर-पश्चिमी कोना है। तत्पश्चात् पूर्व की ओर गांव पाली (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 8, 9 तथा 10 की उत्तरी सीमाओं के साथ-साथ जो कि इसी गांव की आयत संख्या 10 का उत्तर-पूर्व कोना है। तत्पश्चात् उत्तर की ओर गांव पाली (हदबस्त संख्या 39) की आयत संख्या 4 की पश्चिमी सीमाओं के साथ-साथ तथा गांव आदलपुर (हदबस्त संख्या 44) की आयत संख्या 59, 58 तथा 52 की सीमाओं के साथ-साथ बिन्दु 'ए' तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दु है।

के० के० जालान,

वित्तियुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

**Notification**

The 4th January, 2011

**No. CCP(NCR)/MDG-JANT/CA/2011/01.**—Whereas, in the opinion of the Government, the area specified in the Schedule given below and shown in the plan appended, hereto has the potential for building activities and haphazard development.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 4 of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restriction of Unregulated Development Act, 1963 (Punjab Act 41 of 1963), the Governor of Haryana hereby declares the said area to be a controlled area for the purposes of the said Act, namely :—

**Schedule**

Schedule of boundaries for the controlled area around Central University at Village Jant (Hadbast number 45) and Pali (Hadbast Number 39), District Mahendargarh to be read with drawing No. DTP(MG)122/09, dated 5th November, 2009.

- North :** Starting from point 'A' i.e. north-west corner of rectangle number 52 of village Adalpur (Hadbast Number 44). Thence towards east along northern boundary of rectangle number 52 of village Adalpur (Hadbast Number 44) and rectangle number 21, 22, 23, 24, 25, 26 and 27 of village Jant (Hadbast Number 45) up to point 'B' i.e. north-east corner of rectangle number 27 of village Jant (Hadbast Number 45).
- East :** Thence moving from point 'B' towards south along the eastern boundary of rectangle number 27, 36, 51 and 57 of village Jant (Hadbast Number 45), rectangle number 14, 37, 39 and 62 of village Malra (Hadbast Number 57) upto southern revenue boundary of village Malra (Hadbast Number 57), Thence moving towards west along northern revenue boundary of village Lawan (Hadbast Number 58), where it meets the tri-junction of revenue boundary of village Malra (Hadbast Number 57), Pali (Hadbast Number 39) and Lawan (Hadbast Number 58). Thence towards south along the eastern revenue boundary of village Pali (Hadbast number 39) up to point 'C' i.e. south-east corner of rectangle number 113 of village Pali (Hadbast Number 39).
- South :** Thence moving from point 'C' towards west along southern boundary of rectangle number 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 and 121 of village Pali (Hadbast number 39) up to point 'D' i.e. south-west corner of rectangle number 121 of village Pali (Hadbast Number 39).
- West :** Thence moving from point 'D' towards north along western boundary of rectangle number 121, 104, 89, 70 and 56 village Pali (Hadbast Number 39), thence towards north along western revenue boundary of village Pali (Hadbast Number 39) upto point 'E' i.e. north-west corner of rectangle number 8 of the same village. Thence towards the east along the northern boundary of rectangle number 8, 9 and 10 of village Pali (Hadbast Number 39), i.e. north-east corner of rectangle number 10 of the same village. Thence towards north along western boundary of rectangle number 4 of village Pali (Hadbast Number 39) and rectangle number 59, 58 and 52 of village Adalpur (Hadbast Number 44) upto point 'A' i.e. point of start.

K. K. JALAN  
Financial Commissioner and Principal Secretary to  
Government, Haryana,  
Town and Country Planning Department.